



Neutral Citation No. - 2026:AHC:181301

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 6792 सन् 2025

विक्रम मेहता

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : राकेश कुमार गुप्ता, यदुवीर सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. वर्तमान आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के अंतर्गत मु०अ०सं० 54/2013, अंतर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना फजल गंज, जिला कानपुर नगर से उद्भूत विशेष दाण्डिक वाद सं० 29/14, जो अपर जिला न्यायाधीश-10, कानपुर नगर के न्यायालय में लंबित है, में निर्गतनिर्गत गैर-जमानतीय वारंट (NBW), दिनांक 26.09.2022 से अब तक को तथा इस वाद संपूर्ण कार्यवाही को अभिखण्डित करने हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदकगण के विद्वान मूल अधिवक्ता श्री राकेश कुमार गुप्ता के स्थान पर उनकी सहयोगी विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज्योति ठाकुर एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों एवं कानूनी प्रावधानों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकों को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है, क्योंकि आवेदकगण गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्भावनावश उन्हें झूठा अभियुक्त बनाया गया है। आवेदकगण न तो किसी गिरोह के सरगना हैं और न ही किसी गिरोह के सदस्य हैं। यहां उल्लेखनीय तथ्य है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अनुसार "गैंग" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है, जो अकेले अथवा सामूहिक रूप से हिंसा, हिंसा की धमकी, भयादोहन, दबाव अथवा अन्य किसी माध्यम से लोक व्यवस्था भंग करने या अपने अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न हों। जबकि इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। इसमें धारा 2(b) की उस विशिष्ट उप-धारा का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत आवेदकगण के कृत्यों को 'समाज विरोधी गतिविधि' माना गया हो। विवेचक एवं विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक (Judicial Mind) का प्रयोग किए बिना यांत्रिक तरीके से आरोप पत्र स्वीकार कर कार्यवाही संचालित की। तत्पश्चात्, विद्वान संबंधित विचारण न्यायालय ने दिनांक 21.03.2014 को संज्ञान लिया एवं मामला दर्ज किया तथा आगे नियत तिथि पर प्रकरण को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। विद्वान विचारण न्यायालय ने मामला दर्ज करने के पश्चात् आवेदक के विरुद्ध दिनांक 21.03.2014 से 28.10.2024 तक की आदेशिका (ऑर्डर शीट) तैयार की। तत्पश्चात्, अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध दिनांक 26.09.2022 से अब तक गैर-जमानती वारंट (एन.बी.डब्ल्यू.) जारी किया, किंतु उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आवेदक वर्ष 2019 से अब तक गंभीर रूप से बीमार (पैरालिसिस/लकवा का अटैक) था, जिले के संबंधित चिकित्सक द्वारा उसका निरंतर उपचार चल रहा था, और जिले के संबंधित चिकित्सक ने आवेदक को पूर्णतः बेड रेस्ट (बिस्तर पर आराम) की सलाह दी थी। तत्पश्चात् जिले के संबंधित चिकित्सक ने दिनांक 26.01.2020 से 23.09.2024 तक के पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) तैयार किए। जिले के संबंधित चिकित्सक द्वारा दिनांक 26.01.2020 से 23.09.2024 तक तैयार किए गए पर्चों की फोटोप्रति सामूहिक रूप से इस शपथ पत्र के अनुबंध संख्या-13 के रूप में संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है। फोटोग्राफर द्वारा उस तिथि को आवेदक के घर पर बिस्तर पर रहते हुए उसका फोटोग्राफ लिया गया। आगे यह भी कहा गया कि वर्तमान प्रकरण में, धारा 3(1) केवल गैंगस्टर के लिए दंड का प्रावधान करती है, जबकि धारा 2(b) एवं 2(c) यह परिभाषित करती है कि किन विशिष्ट असामाजिक गतिविधियों (Anti-social activities) के आधार पर किसी व्यक्ति को "गैंगस्टर" के रूप में वर्गीकृत



किया जा सकता है। किसी व्यक्ति पर विशिष्ट उप-धारा (Clause) या असामाजिक कृत्य का उल्लेख किए बिना केवल धारा 3(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज करना विधि के प्रतिकूल और अवैध है तथा उसके द्वारा कारित (किए गए) उस अपराध को निर्दिष्ट किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता, जो गैंगस्टर के रूप में उसके वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराता हो। पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट, अधिनियम की प्रासंगिक धारा का उल्लेख करने में विफल रहने के कारण, गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है और अवैध है। यहां अति प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत है और दाखिल किया गया आरोप पत्र भी इसी प्रकार है; संपूर्ण आरोप पत्र या विवादित सम्मन आदेश में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है कि अधिनियम की धारा 2 की किस उप-धारा के तहत, जो अपराध को परिभाषित करती है, आवेदक को श्रेणीबद्ध किया गया है। उक्त मुद्दे का निर्णय इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **आसिम उर्फ हासिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** के प्रकरण में किया गया है, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

“4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख के परिशीलन के पश्चात्, यह न्यायालय पाता है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत पंजीकृत की गई है। यह धारा गैंगस्टरों के लिए दंड का प्रावधान करती है। तथापि, गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2 में उन समाज-विरोधी गतिविधियों का प्रावधान है, जो किसी व्यक्ति को गैंगस्टर के रूप में वर्गीकृत किए जाने का आधार बनती हैं। धारा 2(ख) में “गैंग” को परिभाषित किया गया है और धारा 2(ग) में “गैंगस्टर” को परिभाषित किया गया है। धारा 2(ग) में उल्लिखित “गैंगस्टर” की परिभाषा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि गैंगस्टर के रूप में नामित किया जाने वाला व्यक्ति गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में उल्लिखित गतिविधियों में संलिप्त होना चाहिए। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2(ख), 2(ग) और 3 को निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

“2(ख). “गैंग” से ऐसे व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है, जो अकेले या सामूहिक रूप से, हिंसा द्वारा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन द्वारा, या भयादोहन, या बलपूर्वक, या अन्यथा लोक व्यवस्था को भंग करने या अपने लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति



के लिए कोई अनुचित अस्थायी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित समाज-विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, अर्थात्-

(i) भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) के अध्याय XVI या अध्याय XVII या अध्याय XXII के अधीन दंडनीय अपराध, या

(ii) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1910), या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985), अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी मदिरा, या मादक या खतरनाक औषधि, या अन्य मादक पदार्थ या स्वापक पदार्थ का आसवन या निर्माण या भंडारण या परिवहन या आयात या निर्यात या विक्रय या वितरण करना, या किसी पौधे की खेती करना, या

(iii) विधि के अनुसार अन्यथा किसी अचल संपत्ति पर कब्जा करना या उसका आधिपत्य लेना, या अचल संपत्ति पर स्वत्व या कब्जे के संबंध में, चाहे स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मिथ्या दावे करना, या

(iv) किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना या रोकने का प्रयास करना, या

(v) महिलाओं और बालिकाओं में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 104 सन् 1956) के अधीन दंडनीय अपराध, या

(vi) लोक जुआ अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध, या

(vii) किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक अथवा निजी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से किसी पट्टे या अधिकार या वस्तुओं की आपूर्ति या किए जाने वाले कार्य के लिए विधिपूर्वक आयोजित नीलामी में बोली लगाने से, या विधिपूर्वक आमंत्रित निविदा में बोली लगाने से, किसी व्यक्ति को रोकना, या



(viii) किसी व्यक्ति द्वारा अपने विधिपूर्ण कारोबार, व्यवसाय, व्यापार या रोजगार अथवा उससे संबंधित किसी अन्य विधिपूर्ण गतिविधि के सुचारु संचालन को रोकना या उसमें बाधा डालना, या

(ix) भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 171-ई के अधीन दंडनीय अपराध, या विधिपूर्वक कराए जा रहे किसी लोक निर्वाचन को रोकना या उसमें बाधा डालना, जिसमें मतदाता को उसके निर्वाचन संबंधी अधिकारों का प्रयोग करने से शारीरिक रूप से रोकना भी सम्मिलित है, या

(x) साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करने के लिए दूसरों को हिंसा का सहारा लेने हेतु उकसाना, या

(xi) जनता में भय, घबराहट या आतंक उत्पन्न करना, या

(xii) सार्वजनिक या निजी उपक्रमों अथवा कारखानों के कर्मचारियों या स्वामियों या अधिभोगियों को आतंकित करना या उन पर हमला करना और उनकी संपत्तियों के संबंध में नुकसान करना, या

(xiii) किसी व्यक्ति को इस मिथ्या अभ्यावेदन पर कि ऐसे विदेशी देश में उसे कोई रोजगार, व्यापार या व्यवसाय प्रदान किया जाएगा, किसी विदेशी देश में जाने के लिए प्रेरित करना या प्रेरित करने का प्रयास करना, या

(xiv) फिरौती वसूलने के आशय से किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करना, या

(xiv) फिरौती वसूलने के आशय से किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करना, या

(xv) किसी विमान या सार्वजनिक परिवहन वाहन को उसके निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने से विमुख करना या अन्यथा रोकना;"

(xvi) धन उधार विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दंडनीय अपराध;



(xvii) मवेशियों का अवैध परिवहन और/या तस्करी करना तथा गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्यों में लिप्त होना;

(xviii) वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, यौन शोषण, अंगों को निकालने और उनकी तस्करी, भिक्षावृत्ति तथा इसी प्रकार की गतिविधियों के प्रयोजनों के लिए मानव तस्करी।

(xix) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 के अधीन दंडनीय अपराध;

(xx) नकली भारतीय करेंसी नोटों की छपाई, परिवहन और परिचालन;

(xxi) नकली दवाओं के उत्पादन, विक्रय और वितरण में संलिप्त होना;

(xxii) शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उपबंधों के उल्लंघन में शस्त्रों और गोला-बारूद के निर्माण, विक्रय और परिवहन में संलिप्त होना;

(xxiii) आर्थिक लाभ के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में वृक्षों को काटना या वन्यजीवों को मारना, उत्पादों की तस्करी करना;

(xxiv) मनोरंजन एवं सट्टा कर अधिनियम, 1979 के अधीन दंडनीय अपराध;

(xxv) ऐसे अपराधों में लिप्त होना जो राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और यहाँ तक कि जनजीवन की सामान्य गति को प्रभावित करते हैं।]

(2(ग). “गैंगस्टर” से गैंग का कोई सदस्य या नेता या आयोजक अभिप्रेत है और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो खंड (ख) में उल्लिखित गैंग की गतिविधियों में, ऐसी गतिविधियों के किए जाने से पहले या उनके किए जाने के पश्चात्, किसी प्रकार दुष्प्रेरित करता है या सहायता करता है अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को आश्रय देता है, जिसने ऐसी गतिविधियों में लिप्तता की हो;

3. दंड- (1) गैंगस्टर को किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी और जो दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और साथ ही ऐसे जुर्माने



से भी, जो पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा: परंतु यह कि किसी लोक सेवक के व्यक्ति या किसी लोक सेवक के परिवार के किसी सदस्य के व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करने वाले गैंगस्टर को किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और साथ ही ऐसे जुर्माने से भी, जो पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा। (2) जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी गैंगस्टर को किसी भी प्रकार से कोई अवैध सहायता या समर्थन प्रदान करता है, चाहे गैंगस्टर द्वारा किसी अपराध के किए जाने से पहले या उसके पश्चात् (चाहे स्वयं या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से), अथवा विधि द्वारा किए जाने वाले उपायों को करने से विरत रहता है या जानबूझकर इस संबंध में किसी न्यायालय या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने से बचता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है किंतु तीन वर्ष से कम नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।”

5. उपर्युक्त उद्धृत उपबंधों तथा गैंगस्टर्स अधिनियम के अन्य उपबंधों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति पर गैंगस्टर्स अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत तभी अभियोजन चलाया जा सकता है, जब वह “गैंगस्टर” की परिभाषा के अंतर्गत आता हो, अर्थात् वह ऐसे गैंग का सदस्य हो जो अधिनियम की धारा 2(ख)(i) से (xxv) में उल्लिखित समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो। गैंगस्टर्स अधिनियम के विशेष उपबंध बनाए जाने का उद्देश्य गैंगस्टर्सों से निपटना तथा उनकी समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकना है। इस अधिनियम के उपबंध कठोर हैं और इसलिए उनका कड़ाई से निर्वचन किया जाना आवश्यक है, ताकि राज्य के प्राधिकारियों की ओर से उनके दुरुपयोग को रोका जा सके।

9. वर्तमान प्रकरण में, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट गैंगस्टर्स अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत पंजीकृत की गई है, जिसमें उस संबंधित उपबंध का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें उन समाज-विरोधी गतिविधियों का उल्लेख हो जिनमें अभियुक्त संलिप्त है और जिनके आधार पर उसे गैंगस्टर के रूप में नामित किया गया है। किसी व्यक्ति को उस अपराध को निर्दिष्ट किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता, जो उसे गैंगस्टर के रूप में वर्गीकृत किए जाने को न्यायोचित ठहराता हो।



यद्यपि, उक्त मुद्दा इस माननीय न्यायालय के ध्यान में एक बड़ी पीठ के संदर्भ के माध्यम से भी आ रहा है, जिसे धर्मेन्द्र उर्फ भीमा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य (आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 1049/2024) के प्रकरण में दिनांक 04.03.2024 के आदेश द्वारा संदर्भित किया गया है:-

"विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बड़ी पीठ को केवल संदर्भ मात्र देने से संदर्भित निर्णय द्वारा प्रतिपादित प्रस्थापना कमजोर नहीं हो जाती है। अतः, आसिम उर्फ हासिम (उपरोक्त) के प्रकरण में जारी किए गए दिशा-निर्देश कि- "धारा 2 (ख) के संगत प्रावधानों का उल्लेख किए बिना गिरोहबंद अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दर्ज एफ.आई.आर. अवैध है"- तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि संदर्भ का निर्णय नहीं हो जाता।"

उपर्युक्त तथ्यों से परिलक्षित है कि आवेदकगण के विरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कोई अपराध प्रथमदृष्टया सिद्ध नहीं होता है तथा यह वाद विधि की दृष्टि में अस्थिर एवं असंगत है। अतः वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं इस वाद की संपूर्ण कार्यवाही अभिखण्डित किये जाने योग्य है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदन पत्र का विरोध किया, किंतु पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं आवेदकगण द्वारा उठाए गए विधिक बिंदुओं का कोई संतोषजनक खंडन प्रस्तुत नहीं कर सके।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रश्नगत आदेश का परिशीलन किया।

6. इस स्तर पर, यहा प्रासंगिक है कि वर्तमान प्रकरण में, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत, संबंधित प्रावधान का उल्लेख किए बिना तथा उन असामाजिक गतिविधियों को निर्दिष्ट किए बिना दर्ज की गई थी, जिनमें अभियुक्त संलिप्त है और जिनके आधार पर उसे गैंगस्टर के रूप में नामित किया गया था। किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा कारित किए गए, उस अपराध को निर्दिष्ट किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता, जो गैंगस्टर के रूप में उसके वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराता हो। आसिम उर्फ हासिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व अन्य तथा धर्मेन्द्र उर्फ भीमा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य (क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन संख्या 1049/2024) के प्रकरण में अभिनिर्धारित पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट, अधिनियम की प्रासंगिक धारा का उल्लेख करने में विफल रहने के कारण, गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है और अवैध है। इसलिए, यह आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. तदनुसार, धारा 482 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आवेदकगण के विरुद्ध निर्गत गैर-जमानतीय अधिपत्र दिनांकित 26.09.2022 से अब तक तथा उक्त वाद की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

8. प्रश्नगत प्रकरण में यदि कोई अन्तरिम आदेश हो तो उसे समाप्त समझा जाय।

9. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करे।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

31 अगस्त, 2026

सीपी. साहनी